



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
प्रकीर्ण वर्ग, देहरादून।



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com,
eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 336 / 10 अधिप्राप्ति / 2019

दिनांक- 20/05/2019

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष-2019-20 हेतु केंद्रीकृत शेड्यूल ऑफ रेटस दिनांक-01.05.2019 से इस कार्यालय के पत्रांक-260/10अधिप्राप्ति/2019 दिनांक- 02.05.2019 के द्वारा लागू कर दिया गया है। उक्त SOR में सेतु कार्यों के लिए SOR की मदों की दरों (Item Rate) में पूर्व की भांति निम्नानुसार अतिरिक्त Overhead Charges देय होंगे जो कि 01.05.2019 से लागू मानी जाएगी।

1-For Major Bridges including State of Art Bridges & Minor Bridges	=15%
2- For Minor Bridges including in the Road Package.	=10%
3- For Rehabilitation of Bridges	=20%

(हरि ओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी/टिहरी/पिथौरागढ़/देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 एवं सेतु/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
9. प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, ग्राम्य विकास विभाग, देहरादून।
13. प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
14. प्रबन्धक निदेशक, ब्रिडकुल, देहरादून।
15. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल एवं वि0/यां0, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर-प्रथम/द्वितीय एवं समस्त अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
17. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. अधिशासी अभियन्ता, टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
19. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0